वर्ष-4 अंक : 43

सहयोग शुल्क : रु. 1 / जुलाई : 2020

ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ

'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

"बुलंद हौंसले ओर दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे
विकलांगता भी हार जाती है..."

– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

"नए भारत के निर्माण में हर दिव्यांग युवा
और बच्चे की भागीदारी जरुरी..."

– प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

"इन्सान की शक्ति आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती"

कभी-कभी दिव्यांगजन महेसूस करते है की खुद की कुछ कमजोरीयां है और इसके लिए कभी भगवान को, कभी खुद को या कभी परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते है, लेकिन क्या आप यह जानते है की, आपकी कमजोरीयां ही एक दिन आपकी ताकत बन सकती है? इस धरती पर हर एक दिव्यांग विशेष और महत्त्वपूर्ण है इसलिए शारीरिक अक्षमता होने की वजह से यह कभी न सोचे की आप कुछ नहीं कर सकते या आप दूसरों के मुकाबले में कम काबेलियत रखते है। अपने आप में दृढ विश्वास रखे और हर एक कार्य करे जो आप करना चाहते है। 'दिव्यांग सेतू' पत्रिका भी दिव्यांगजनो के हौंसलो को बढाने के लिए प्रयत्नशील है।

पाठको को यह निवेदन है की दिव्यांग सेतु पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु आपके आसपास दिव्यांगजनो के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी का ब्यौरा भी आप हमें भेज सकते है।

आप सभी को नम्र निवेदन है की इस पत्रिका के बारे में हमे आपके मूल्यवान प्रतिभाव भेजिए। हम आपके द्वारा दिए गए सुझाव या विचार पत्रिका में अवश्य प्रकाशित करेंगे।

आओ आप भी इस दिव्यांगो की प्रगति में हमारा साथ दो।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

जुलाई : 2020, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष : 4 अंक : 43

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

दिव्यांगो के लिए भी नरेगा योजना बनी संजीवनी

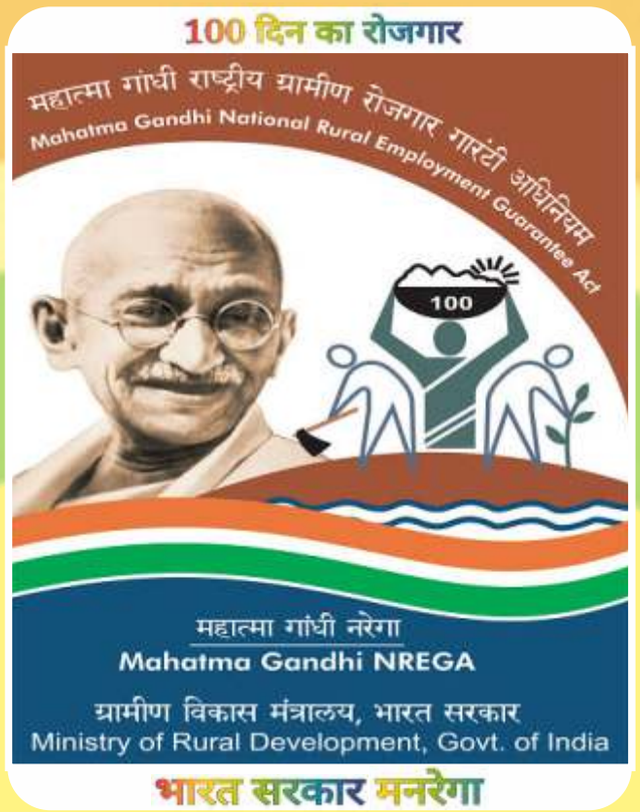

कोरोना काल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रो में ग्रामीणो और प्रवासीयों के अलावा दिव्यांगो के लिए भी नरेगा योजना संजीवनी साबित हो रही है। उप मुख्यमंत्री सचीन पायलट के निर्देशो के बाद दिव्यांगो के लिए एक खास गाइडलाइन बनाइ गई है, ताकी दिव्यांगो को भी नरेगा का पूर्ण लाभ मिल सके। इस गाइडलाइन की जाहेरात होने के दो दिनों में ही ६,६३३ दिव्यांगो को नरेगा योजना में काम मिला है। इस समय राजस्थान में नरेगा योजना से तहत करीब ४८ लाख लोगों को काम मिला है। जो की देश में सबसे ज्यादा है।

नरेगा योजना से प्रवासी श्रमिको के अलावा बेरोजगार लोगों को भी काफी राहत मिली है। इसकी खास बात यह है की दिव्यांग भी इस योजना से खूब लाभान्वित हो रहे है।

दिव्यांगो को दिए जा रहे है ये काम

दिव्यांगो की शारीरिक क्षमता को देखते हुए काम दिए जा रहे है। मस्टर रोल इंचार्ज के काम में दिव्यांगो के लिए रिज़र्वेशन किया जा रहा है। नरेगा श्रमिको को पानी पिलाने और नर्सरी जैसे कार्य इनसे कराये जा रहे है। योजना में करीब २५ तरह के अलग-अलग काम दिव्यांगो के लिए रीज़र्व कीये गए है। आंकडो को देखे तो पिछले साल १८ हज़ार ३१९ दिव्यांग नरेगा में काम कर रहे थे, वहीं अब दो महिने अप्रैल और मई में ही ६६३३ दिव्यांगो को काम मिल चूका है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बनाइ गई यह ''नरेगा योजना'' भारत के लाखों बेरोजगारो को रोजगारी दे रही है और इस महामंदी के कोरोना के विकट समय में संजीवनी साबित हो रही है। आम श्रमिको के साथ दिव्यांगो को भी इस योजना के लाभार्थी बनाये गए यह बहुत ही प्रसंशनीय है।

दिव्यांगो के लिए बिज़नेस हेतु लोन
(Loan for disabled person from NHFDC)

अपना बिज़नेस शुरु करने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वह होती पूंजी की, पैसो की, लोन की।

भारत सरकार ने दिव्यांगो को अपने बिज़नेस के लिए लोन मिल पाये उसके लिए एक सराहनीय कदम उठाया है और एक ओर्गेनाइज़ेशन सेटअप की है, "नेशनल हेन्डिकेप्ड फाइनान्स एन्ड डेवलोपमेन्ट कोर्पोरेशन"। इस राष्ट्रीय हेन्डिकेप्ड फाइनान्स एन्ड डेवलोपमेन्ट कोर्पोरेशन विकलांग व्यक्तियों के संबंधित राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रो द्वारा नामांकीत राज्य चैनलाइज़ींग एजन्सीओं के माध्यम से लोन (ऋण) प्रदान करता है। आवेदन निर्धारीत प्रपत्रों पर राज्य चैनलाइज़ींग एजन्सीओं के माध्यम से भेजे जा सकते है।

५ लाख रुपये तक की परियोजनाए राज्य चैनलाइज़ींग एजन्सीओं द्वारा स्वीकृत की जाती है और ५ लाख रुपये से अधिक की परियोजनाए इन एच.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत की जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंक

नेशनल हेन्डिकेप्ड फाइनान्स एन्ड डेवलोपमेन्ट कोर्पोरेशन, पंजाब सिंध बैंक और ऑरिंटल बैंक ओफ कोमर्स (OBC) के मारफत विकलांग व्यक्तियों को लोन मुहैया कराने की योजना है।

गैर सरकारी संगठन

बेहद गरीब कर्जदारो के लिए निगम के पास माइक्रो फाइनान्सींग स्कीम है। माइक्रो क्रेडीट स्कीम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनो को अपना आवेदन बिहित आरुप से संबंधित वालो सहित राज्य कार्यसूत्र अभिकरण (SCA) को जमा करना होगा।

अतिरिक्त रिपोर्टो और जानकारी के लिए निम्नलिखित जगह पर आप संपर्क कर सकते है

अपने राज्य / संघ शासित क्षेत्र में राज्य चैनलाइज़ींग एजन्सीओं / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सार्वजनिक सेक्टर बैंक

अथवा

नेशनल हेन्डिकेप्ड फाइनान्स एन्ड डेवलोपमेन्ट कोर्पोरेशन (विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

:: कार्यालय ::

इकाई क्रमांक ११ और १२, ग्राउन्ड फ्लोर, डी.एल.एफ. प्राइम टॉवर,
ओखला फेज़ - १, तेहंद गांव के पास, नई दिल्ही - ११००२०.
फोन : (०११) ४५८०३७३०

:: पंजीकृत कार्यालय ::

रेड क्रोस बिल्डींग, सेक्टर-१२, फ़रीदाबाद - १२१००७.
फोन : (०१२९) २२८७५१२, २२८७५१३, २२८०२१४, २२८०३३५
टेलिफेक्स : (०१२९) २२८४३७१
इ-मेइल : nhfdc97@gmail.com
वेबसाईट : www.nhfdc.nic.in

ऋण आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आप उपर दी गई वेबसाईट पर जा के ऋण आवेदन पत्र को डाइनलोड कर सकते है ।

NATIONAL HANDICAPPED FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION - NHFDC

III. TERMS OF LOAN
Term (years)
No. Months
30
360

कोरोना काल में दोस्ती की मिशाल... पैदल चल दिव्यांग दोस्त को घर तक पहुँचाया

पैर से दिव्यांग गयूर अहमद (४० साल) मुज़फ्फरनगर के निवासी है और राजस्थान के जोधपुर क्वॉरेंटाइन सेन्टर में उनकी मुलाकात अनिरुद्ध झारे (२८ साल) से हुई थी । दोनों जन इस तरह कॉरिंटाइन सेन्टर में दोस्त बने । फिर घर जाने की घड़ी आने पर विदा लीया । लेकिन उनमें से एक दिव्यांग को तिपहिया साईकिल से घर लौटने में धिक्कत होती देख दूसरे ने अपने घर जाने का प्लान कैंसल कर जरुरत के वक्त दोस्त के साथे जाने का फैसला कर लीया । ३५० किलोमीटर की दूरी ५ दिनों में तय कर उसने दिव्यांग दोस्त को उसके घर तक पहुँचाया ।

गयूर बढ़ई का काम करते है, जबकी अनिरुद्ध महाराष्ट्र के नागपुर से वहाँ घूमने आये थे और लोकडाउन में फंस गए थे । दूसरी जगहों से होने की वजह से दोनों को क्वॉरेंटाइन सेन्टर में रखा गया, जहाँ दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी ।

५ दिनों तक सड़क पर चलते रहे....

अनिरुद्ध अगले ५ दिनों तक दिव्यांग गयूर की तिपहिया के साथ चलता रहा । मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ होते हुए दोनों १२ मई को मुज़फ्फरनगर पहुँच गए । इस पैदल सफर के दौरान सड़क ही उनका बिस्तर रही और वहीं जो मिला वह खा-पी लीया । गयूर ने कहा, ''अनिरुद्ध ३५० किलोमीटर के पूरे सफर के दौरान तिपहिया के पीछे-पीछे चलता रहा । उसने कभी मेरा साथ नहीं छोडा ।''

कुछ इस तरह संयोग से मिले दो दोस्त ने अपनी दोस्ती कुछ अलग ही अंदाज़ में निभाकर मानवता का भी बड़ा

दिव्यांग अधिकार अधिनियम – २०१६ के तहत २१ प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता प्रदान की गई है ...

भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन को विकास की मुख्यधारा से जोडने के उद्देश्य से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम – २०१६ में संशोधन किया गया था और ७ प्रकार की प्रचलित दिव्यांगता के स्थान पर २१ प्रकार की दिव्यांगताए शामिल की गई है, जिन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

सभी दिव्यांगो को इस विषय में सामान्य तौर पर इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ''दिव्यांग सेतू'' मेगेज़िन में इस आर्टीकल को प्रकाशित किया जा रहा है । दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-२०१६ के अंतर्गत निम्नलिखित २१ प्रकार की दिव्यांगता को सामिल की गई है ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-२०१६

अन्तर्गत

निशक्तता के २१ प्रकार एवं उनके पहचान के लक्षण

(१) दृष्टिबाधित

(२) कम दृष्टि

(३) कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति

(४) श्रवण बाधित

(५) ऊंचा सुननेवाला, सुनने की क्षमता ६० डीसेबल से कम
(६) लोकोमोटर विकलांगता
(७) बौनेपन
(८) बौद्धिक विकलांगता
(९) मस्कुलर डिस्ट्रोफी
(१०) ॲसिड एटेक
(११) सेरेब्रल पाल्सी
(१२) भाषा और वाक संबंधी दिव्यांगता
(१३) स्वलीनता
(१४) विशिष्ट शिक्षण संबंधी विकलांगता
(१५) मानसिक ऋग्णता
(१६) मल्टीपल स्केलेरोसीस
(१७) थेलेसेमिया
(१८) पार्किंसन रोग
(१९) हीमोफीलिया
(२०) बहरापन सहित मल्टीपल डिसेबिलीटीस
(२१) सिकलसेल रोग

नारायण सेवा संस्थान - उदयपुर (राजस्थान)

सन् १९८५ में नारायण सेवा संस्थान (NGO) की स्थापना की गई थी । नारायण सेवा संस्थान भारत के अलावा

विदेशो में भी विकलांगो के लिए कार्यरत है। यह संस्था राजस्थान प्रांत के उदयपुर में स्थित सेवाकारी संस्था है। इसके संस्थापक श्री कैलाशचंद्र अग्रवाल है। यह संस्थान पीछले कई सालों से पोलियो रोगियों की समर्थता को दूर करके उनको स्वावलंबी बनाने के प्रयास में संलग्न है । पोलियो रोगियों के लिए तीन पहिया वाहन और बैशाखी के साथे मुफ्त ओपरेशन उपलब्ध कराता आ रहा है।

नारायण सेवा संस्थान में भारत के अलावा अफ्रीकी और युरोपीय देशो से भी पोलियो पीडित ओपरेशन के लिए आते है। इस नारायण सेवा संस्थान ने पुरी दुनिया में पोलियो से होनेवाली विकलांगता के खिलाफ अपने अभियान से पोलियो रोगियो में एक नई आशा का संचार किया है। इस संस्थान देश के कोने-कोने में अपनी शिबिर लगाता है। नारायण सेवा संस्थान की स्थापना मानव कैलाश द्वारा १९८५ में एक मुठ्ठी आटा एकत्रित कर के अभियान की शुरुआत की थी । इसके बाद लोगों के सहयोग से ये संस्थान आज पूरे देश व विदेशो में भी अपनी शाखाएँ बना चूका है। नारायण सेवा संस्थान में प्रतिदिन १०० से भी अधिक जरुरतमंदो को नि:शुल्क ओपरेशन की सुविधा दी जा रही है । ओपरेशन समय से लेकर व बाद में भर्ती रहेने तक सभी प्रकार की दवाईयाँ व साथ में आये परिजनो को नि:शुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। प्रति वर्ष लाखो लोगों की नि:शुल्क जांच की जाती है। असहाय वृद्ध लोगों को नि:शुल्क राशन वितरण किया जाता है । असहाय को सिलाई, कोम्प्युटर, मोबाईल रीपेरींग इत्यादि कोर्स भी नि:शुल्क करवाये जाते है।

नारायण सेवा संस्थान - उदयपुर की ओर से पोलियो के अलावा विकलांग, दिल में छेद व अन्य भयानक और गंभीर बिमारीयों से पीडित जरुरतमंद बच्चों व बड़ो के ओपरेशन बिल्कुल नि:शुल्क करवाये जाते है । लोगों को इस संस्थान के बारे में जागृत करने के लिए पूरे भारत में आत्मीय स्नेह संमेलन एवं भामाशाह सम्मान समारोह करवाए जा रहे है । नारायण सेवा संस्थान द्वारा कृत्रिम अंग और कैलीपर भी वितरीत कीये जाते है।

नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगो के लिए की जानेवाली विविध प्रवृत्तिओ और इस सेवाकार्य में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

नारायण सेवा संस्थान - उदयपुर सेवाधाम सेवा नगर,
हिरन मार्गी, सेक्टर-४
उदयपुर (राजस्थान) ३१३००१ (India)
फोन : ९६४९४९९९९९ / ९९२९७७७७७४

थेलेसिमीया

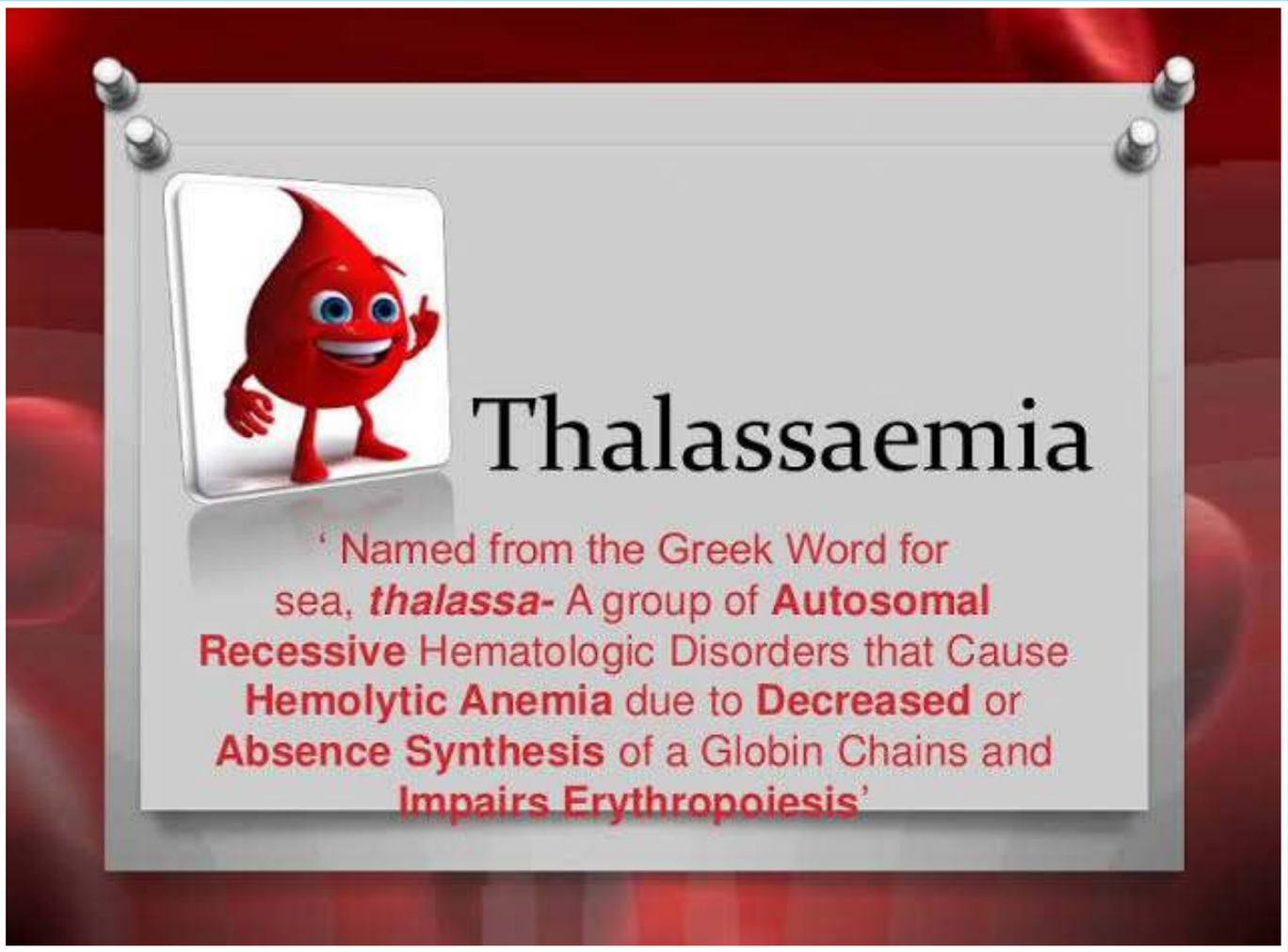

थेलेसिमीया बच्चों को माता-पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलनेवाला एक रक्तरोग है। प्रत्येक वर्ष ८ मई को "विश्व थेलेसिमीया दिवस" मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य थेलेसिमीया रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसबार का थीम है नये युग के लिए थेलेसिमीया का चित्रण वैश्विक प्रयासो के जरीये मरीज़ो को सस्ते एवं आसानी से उपलब्ध होनेवाली नोबल थेरापी। इस रोग की वजह से शरीर में हिमोग्लोबीन की मात्रा कम हो जाती है, जो हिमोग्लोबीन के दोनों चेन आल्फा और बीटा के कम निर्माण होने के कारण होता है। थेलेसिमीया दो प्रकार का होता है - मेजर थेलेसिमीया, माइनर थेलेसिमीया।

अभी भारत में एक लाख थेलेसिमीया मेजर के मरीज़ है और प्रतिवर्ष १०,००० थेलेसिमीया से ग्रस्त बच्चों का जन्म होता है। थेलेसिमीया एक बहुत ही गंभीर बिमारी है। "इस बिमारी हिमोग्लोबीन की कोशिकाओं को बनानेवाले जिन में म्युटेशन के कारण होती है और माता-पिता इसके वाहक होते है।" थेलेसिमीया के रोगीयों में ग्लोबीन प्रोटीन या तो बहुत कम बनता है या नहीं बनता है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट

हो जाती है। इससे शरीर को ऑक्सिजन नहीं मिल पाती है और मरीज़ को बार-बार खून चढ़ाना पडता है। सामान्यतया लाल रक्त-कोशिकाओं की आयु १२० दिनों की होती है, लेकिन इस बिमारी के कारण इसकी आयु घटकर २० दिन रह जाती है। जिसका सीधा प्रभाव हिमोग्लोबीन पर पडता है। हिमोग्लोबीन कम हो जाने से शरीर कमजोर हो जाता है, रोगप्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसे कोई ना कोई बिमारी घेर लेती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार थेलेसिमीया से पीडित ज्यादातर बच्चे गरीब देशो में पैदा होते है। इस बिमारी से ग्रस्त बच्चो में लक्षण जन्म से ही या ४ या ६ महिने में नज़र आते है। कुछ बच्चों में ५ से १० साल में भी लक्षण दिखाई देते है। इनके प्रमुख लक्षण है ....

(१) जल्दी ही थकान महेसूस होना

(२) कमज़ोरी और कुपोषित बच्चा

(३) त्वचा, नाखून, आँखों का रंग पीला होना

(४) चहेरे की हड्डी की विकृति

(५) पेट की सूजन

(६) गहरा और गाढ मूत्र

(७) विकास की गति धीमी

(८) सांस लेने में परेशानी

(९) दांतो को उगने में कठिनाई

जैसे कई सारे लक्षण थेलेसिमीया के बच्चों में पाए जाते है।

थेलेसिमीया में खान-पान का कुछ इस तरह से रखे ध्यान :

- ★ आयरन से भरपूर चीज़ें थेलेसिमीया ग्रस्त पेशन्ट को देना चाहिए।
- ★ डॉक्टर की सलाह के अनुसार कैल्शियम और विटामीन डी सप्लीमेंट भी लेना चाहिए।
- ★ चाय और कॉफी कम पीये। इससे भोजन से शरीर को मिलनेवाले आयरन के अवशोषण का प्रतिशत कम हो जाता है।
- ★ थेलेसिमीया में शरीर में आयरन की कमी होती है। ऐसे में फोलेट सप्लीमेंट और ज्यादा से ज्यादा आयरन युक्त खाद्यपदार्थो का सेवन करना चाहिए।
- ★ विटामीन **E** युक्त चीज़ें जैसे की नट्स, अनाज आदि चीज़ें भरपूर लेनी चाहिए और जैतुन तेल का सेवन भी किया जा सकता है।
- ★ भोजन में हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ और फलों की मात्रा अधिक होनी चाहिए।
- ★ इसके अलावा मीनरल और विटामीन्स भी डायट में शामिल करना जरूरी होता है।

इस तरह थेलेसिमीया एक बहुत गंभीर वंशानुगत बिमारीयों की सूची में शामील बिमारी है और प्रतिवर्ष १०००० से १५००० बच्चे थेलेसिमीया से ग्रसित होते है।

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट
(N.G.O.)
संचालित
ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर
मानसिक दिव्यांग बच्चों के
लिए निःशुल्क तालीमी संस्था
शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे
सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365